नागरिक अधिकार–पत्र

(जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग**)**

क्र.	नाम योजना	पात्र व्यक्ति	समयावधि	उक्त योजना के तहत अधिकार
1.	आश्रम छात्रावासों का संचालन	1. उपयोजना क्षेत्र के ऐसे जनजाति छात्र–छात्रा जिनके निवास से 1.5 किमी, 3 किमी एवं 5 किमी तक क्रमशः कोई प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय न हो। 2. माता–पिता/अभिभावक आयकरदाता न हों। 3. परिवार के पास 400 वर्गगज से अधिक शहरी भूमि न हो। 4. कृषि भूमि 15 बीघा से अधिक न हो। 5. छात्र–छात्रा उस जिले का मूल निवासी हो जिस जिले के छात्रावास हेतु आवेदन किया गया हो। 6. नये व पुराने सभी आवेदकों को मेरिकट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।	शैक्षणिक सत्र	छात्र–छात्रा को आवास सुविधा भोजन, नाश्ता, अध्ययन व खेल सुविधा व अन्य आवश्यक सुविधा सामग्री क्रय करने हेतु राशि रू 2600 का नकद भुगतान किया जाता है।
2.	आश्रम छात्रावासों में कोचिंग	आश्रम छात्रावास में प्रवेशित कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं के छात्र–छात्राऐं।	6 माह	कक्षा 10 वीं में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी तथा कक्षा 12 वीं में अंग्रेजी तथा ऐच्छिक अंग्रेजी व विज्ञान के विषयों में कोचिंग प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाती है। जिसके लिये विषय अध्यापक को प्रति छात्रावास को 6 माह हेतु मानदेय प्रतिमाह 2500 रू. भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है।
3.	खेल छात्रावासों का संचालन	1. सम्पूर्ण राज्य में निवास करने वाले कक्षा 6 से 12 वीं में अध्ययनरत जनजाति विद्यार्थी। 2. छात्र विकलांग एवं किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिये। 3. छात्र के पिता/अभिभावक आयकरदाता नहीं हों। 4. अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। 5. चयन, बैट्री टेस्ट में सफल होने पर ही खेल छात्रावास में प्रवेश दिया जायेगा।	शैक्षणिक सत्र	छात्र–छात्रा को आवास सुविधा भोजन, नाश्ता, अध्ययन व खेल सुविधा व अन्य आवश्यक सुविधा सामग्री क्रय करने हेतु राशि रू 3645 का नकद भुगतान किया जाता है।
4.	आवासीय विद्यालयों का संचालन	1. उपयोजना क्षेत्र के आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। 2. जिनके माता–पिता आयकरदाता नहीं हैं। 3. प्रवेश उन्हीं छात्र–छात्राओं को दिया जाता है जिन्होंने पूर्व की कक्षा राज्य के किसी सरकारी विद्यालय या सरकार से	शैक्षणिक सत्र	छात्र–छात्रा को आवास सुविधा भोजन, नाश्ता, अध्ययन व खेल सुविधा व अन्य आवश्यक सुविधा सामग्री क्रय करने हेतु राशि रू 2600 का नकद भुगतान किया जाता है।

		मान्यता प्राप्त विद्यालयों से उत्तीर्ण की हो। 4. आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में पूर्व प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मेरिट तैयार कर प्रवेश दिया जाता है तथा अगले वर्ष उत्तीर्ण होने पर स्वतः ही प्रवेश मिल जाता है। 5. प्रतिवर्ष कक्षा 7 से 12 तक की रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रवेश दिया जाता है। इन कक्षाओं हेतु आवेदित कक्षा से पूर्व की कक्षा की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। 6. आवासीय विद्यालयों में अनुत्तीर्ण रहे छात्रों को पुनः प्रवेश नहीं दिया जाता है।		
5.	बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण जनजाति छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता	उपयोजना क्षेत्र में जनजाति छात्र/छात्राऐं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की हो या कॉलेज की सामान्य शिक्षा में स्नातक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो तथा अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो। जिस छात्र के माता–पिता आयकरदाता नहीं हैं वे छात्र इस योजना अन्तर्गत पात्रता रखते हैं– 1. दसवीं बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों को 11 वीं कक्षा में अध्ययन के दौरान एवं उस विद्यार्थी द्वारा 11 वीं कक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त करने व 12 वीं कक्षा में अध्ययन के दौरान राशि देय होगी। 2. 12 वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्रा को स्नातक के दौरान प्रथम वर्ष प्रोत्साहन राशि देय होगी। इस विद्यार्थी के प्रथम वर्ष की परीक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही द्वितीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि देय होगी। इस प्रकार द्वितीय वर्ष की परीक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को ही तृतीय वर्ष में राशि देय होगी। 3. स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन के दौरान भी उक्त शर्तें लागू होंगी।	शैक्षणिक सत्र	बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में जो छात्र–छात्राऐं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं उन्हें रू 350/– प्रतिमाह की दर से 10 माह हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है।
6.	जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता	योजना का लाभ जनजाति की उन छात्राओं को प्राप्त है जो उपयोजना क्षेत्र की मूल निवासी हैं और निजी एवं राजकीय कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय में नियमित अध्ययनरत हैं तथा जिनके माता–पिता आयकरदाता नहीं हैं।	शैक्षणिक सत्र	जनजाति छात्राओं को जो महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं उन्हें उच्च शिक्षा हेतु रू 500/– प्रतिमाह के हिसाब से 10 माह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
7.	बोर्ड परीक्षा में 65	राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत की जनजाति छात्राओं को	शैक्षणिक सत्र	गत बोर्ड परीक्षा में 65 प्रतिशत अंक प्राप्त करने

	प्रतिशत अंक लाने पर उपयोजना क्षेत्र की जनजाति छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा/बोर्ड केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वी एवं 12वीं की परीक्षा (दोनो में से कोई भी एक कक्षा की परीक्षा) में 65 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करती है उन छात्राओं को राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क स्कूटी वितरण की जावेंगी व उच्च कक्षा में सामान्य शिक्षा में नियमित रूप सें अध्ययनत हो। योजना राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत जनजाति छात्राओं के लिए है जिनके माता–पिता आयकरदाता नहीं है। जो राजस्थान की मूल निवासी हों।		पर जनजाति छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण किया जाता है।
8.	छात्रगृह किराया योजना	जनजाति छात्र/छात्रा जो महाविद्यालय की स्नातक तथा स्थानान्तरण कक्षाओं में पढ़ते है एवं छात्रावासों में स्थानाभाव के कारण किराये के मकान में रहकर नियमित अध्ययन करते हैं को यह सुविधा देय है। जिन छात्र/छात्राओं के माता–पिता आयकरदाता है उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं हागी।	शैक्षणिक सत्र	राजकीय निजी महाविद्यालयों मे अध्ययरत जनजाति की छात्राओं को 10 माह हेतु संभाग स्तर पर 500 रू. प्रतिमाह, जिला मुख्यालय पर 400 रू. प्रतिमाह तहसील मुख्यालय पर 300 रू. प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है।